प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 666/2004

मनबोध

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 11.12.2012 को सूचीबद्घ करें।

सही/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 666/2004</u>

<u>अपीलार्थी</u> : मनबोध पिता मंगल सिंह गोंड, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति गोंड, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम रामनगर, थाना लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर श्री विवेक पांडेय, अधिवक्ता ।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(11 दिसंबर, 2012 को पारित)

यह अपील सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 153/2004 में पारित निर्णय दिनांक 4-8-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी मनबोध को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोक्त्री (अ.सा.-4) घटना की तिथि को लगभग 28 वर्षीया विवाहित स्त्री थी। दिनांक 5-3-2004 को वह अपनी सहेली रतियानो (अ.सा.-2) के साथ लकड़ी (झाड़ियाँ) बीनने जंगल गई थी। लगभग दोपहर 3:00 बजे, जब वह लकड़ी बीन रही थी, उसी समय अपीलार्थी वहाँ आया, उसने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को पकड़ लिया, अपने गमछे से उसका मुँह दबा दिया, उसे घसीटकर एक गड्ढे में ले गया, जमीन पर पटक दिया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त कृत्य करने के पश्चात वह वहाँ से भाग गया। उसका पति मंगला (अ.सा.-5) जीविकोपार्जन हेतु ग्राम उदयपुर गया हुआ था। पति के लौटने पर अभियोक्त्री ने उसे घटना की जानकारी दी तथा पुलिस चौकी उदयपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन

(प्र.पी.-2) दर्ज कराई। तत्पश्चात नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-1) थाना लखनपुर में दर्ज की गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को चिकित्सीय परीक्षण (प्र.पी.-6**A**) हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लखनपुर भेजा गया। डॉ. रोज़निन आर. एक्का (अ.सा.-6) ने उसका परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-6) प्रस्तुत किया। अभियोक्त्री के योनि स्वैब की दो स्लाइड तैयार की गईं। उसका पेटीकोट प्र.पी.-5 के माध्यम से जब्त किया गया। योनि स्वैब की स्लाइडें प्र.पी.-11 के द्वारा जब्त की गईं।विवेचना अधिकारी द्वारा नजरी नक्शा (प्र.पी.-3) तैयार किया गया तथा पटवारी द्वारा एक अन्य नजरी नक्शा (प्र.पी.-4) तैयार किया गया। अपीलार्थी को भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उदयपुर भेजा गया। डॉ. आई.डी. भटनागर (अ.सा.-9) ने उसका परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्र.पी.-10क प्रस्तुत की, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरगुजा, अंबिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रकरण सत्र न्यायालय, सरगुजा (अंबिकापुर) को विचारण हेतु उपार्पित किया गया, जहाँ विचारण उपरांत अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) विलंब से दर्ज कराई गई है। उन्होंने आगे कथन किया

कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क था कि अभियोजन का प्रकरण अत्यधिक असंभाव्य है। किसी विवाहित स्त्री के साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित करना संभव नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) सहमति से सहभागी रही हो। अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है और उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील दुबे ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 153/2004 के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परीशीलन किया है।

6. सर्वप्रथम मैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराने में हुए विलंब के प्रश्न पर विचार करूँगा।

7. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने अपने अभिकथन में बताया कि उसने पुलिस चौकी उदयपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) दर्ज कराई तथा नियमित प्रथम

सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-1) थाना लखनपुर में दर्ज की गई। मंगला (अ.सा.-5) ने भी अपने अभिकथन में कहा कि उसकी पत्नी (अभियोक्त्री) ने पुलिस चौकी उदयपुर में रिपोर्ट (प्र.पी.-2) दर्ज कराई। सहायक उपनिरीक्षक के.पी. गुप्ता (अ.सा.-8) ने अपने अभिकथन में कहा कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने दिनांक 12-3-2004 को पुलिस चौकी उदयपुर में रिपोर्ट (प्र.पी.-2) दर्ज कराई।

8. घटना की तिथि एवं समय दिनांक 5-3-2004 को लगभग दोपहर 3:00 बजे का है, जबकि रिपोर्ट (प्र.पी.-2) दिनांक 12-3-2004 को प्रातः लगभग 8:30 बजे दर्ज की गई। घटना स्थल एवं पुलिस चौकी के बीच की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने कहा कि उसका पति जीविकोपार्जन हेतु उदयपुर गया हुआ था। उसका पति शनिवार को घर लौटा, तब उसने उसे घटना की जानकारी दी। मंगला (अ.सा.-5) ने कहा कि वह घटना के अगले दिन शनिवार को घर लौटा और उसकी पत्नी (अभियोक्त्री) ने उसे घटना के संबंध में बताया। तत्पश्चात अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने पुलिस चौकी उदयपुर में रिपोर्ट (प्र.पी.-2) दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. घटना दिनांक 5-3-2004 को लगभग 3:00 बजे हुई। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का पति घटना के अगले दिन, जो शनिवार था, घर लौट आया, जबकि रिपोर्ट (प्र.पी.-2) दिनांक 12-3-2004 को प्रातः 8:30 बजे दर्ज कराई गई। घटना स्थल एवं पुलिस चौकी के मध्य दूरी 7 किलोमीटर है। रिपोर्ट (प्र.पी.-2) में विलंब का

कारण "पति के बाहर रहने से एवं राय सलाह से विलम्ब" उल्लेखित है। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने कहा कि उसका पति गाँव में उपस्थित नहीं था। जब उसका पति शनिवार को लौटा, तब उसने उसे घटना के संबंध में बताया। मंगला (अ.सा.-5) ने भी कहा कि वह शनिवार को लौटा और अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने उसे घटना की जानकारी दी। प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने घटना के अगले दिन अपने पति को घटना के संबंध में बताया।

10. मंगला (अ.सा.-5) ने अपने अभिकथन में कहा कि यह सत्य है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने रतियानो उर्फ देवरहिन (अ.सा.-2) को घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। यह भी सत्य है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) द्वारा उसे घटना बताने से पूर्व ही ग्रामवासियों को घटना की जानकारी हो चुकी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) तथा उसके पति मंगला (अ.सा.-5) के अभिसाक्ष्य से प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने घटना के अगले दिन, अर्थात् 6-3-2004 को अपने पति को घटना की जानकारी दी, जबकि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) पुलिस चौकी में दिनांक 12-3-2004 को, अर्थात् घटना के लगभग 7 दिन पश्चात दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) दर्ज कराने में हुए विलंब का अभियोजन द्वारा समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो उसके प्रकरण के लिए घातक है।

12. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि घटना के दिन उसका पति जीविकोपार्जन हेतु उदयपुर गया हुआ था। वह अपनी सहेली रतियानो (अ.सा.-2) के साथ लकड़ी (झाड़ियाँ) बीनने जंगल गई थी। लगभग दोपहर 3:00 बजे, जब वे लकड़ी बीन रही थीं, उसी समय अपीलार्थी वहाँ आया, उसने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को पकड़ लिया, उसे घसीटकर एक गड्ढे में ले गया, जमीन पर पटक दिया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया। अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त कृत्य करने के पश्चात वह वहाँ से भाग गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह रतियानो (अ.सा.-2) के पास गई, परंतु उसने उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। जब उसका पति घर लौटा, तब उसने उसे घटना के बारे में बताया और पुलिस चौकी उदयपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अभियोक्त्री (पीड़िता) के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर भी, बिना किसी अतिरिक्त सुंपुष्टि के, दोषसिद्धि की जा सकती है। अब मैं यह परीक्षण करूँगा कि क्या अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का साक्ष्य विश्वसनीय, ठोस एवं भरोसेमंद है तथा क्या उस आधार पर दोषसिद्धि कायम की जा सकती है?

14. मोहम्मद इमरान खान बनाम राज्य (दिल्ली सरकार), 2012 क्रि. एल.जे. 693 (एससी) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया :

<u>"अभियोक्त्री का साक्ष्य :"</u>

15. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यौन उत्पीड़न की शिकार स्त्री अपराध की सह-भागी नहीं होती, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति की वासना की शिकार होती है। अभियोक्त्री एक साधारण आहत साक्षी की अपेक्षा उच्च स्तर पर मानी जाती है, क्योंकि वह शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक आघात भी सहती है। अतः उसके परिसाक्ष्य को सह-भागी के साक्ष्य की भाँति संदेह की दृष्टि से परखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे आगे 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है) में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पीड़िता के साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों में पुष्ट न हो। वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत निस्संदेह एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में आहत साक्षी को दिया जाता है। उसके साक्ष्य की विवेचना में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चाहिए जितनी एक आहत परिवादी या साक्षी के मामले में, उससे अधिक नहीं। यदि न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह संतुष्ट हो जाए कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के उदाहरण (ख) के समान कोई ऐसा विधि, नियम या प्रथा नहीं है, जो न्यायालय की संपुष्टि तलाशने के लिए बाध्य करे। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के कथन पर पूर्णतः निर्भर होने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को आश्वस्ति प्रदान करे, परंतु वह सह-भागी के मामले में अपेक्षित सुपुष्टथ् के स्तर का होना आवश्यक नहीं है।यदि अभिलेख पर उपलब्ध समस्त परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि अभियोक्त्री के पास अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई प्रबल कारण नहीं है, तो सामान्यतः न्यायालय को उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामलों का विचार करते समय न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग और संवेदनशील रहना चाहिए। यौन उत्पीडन केवल शारीरिक प्रपीडन नहीं है, बल्कि वह प्रायः पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को झकझोर देता है। बलात्कार एक असहाय स्त्री की आत्मा तक को आहत करता है। अतः अभियोक्त्री के साक्ष्य की विवेचना पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षियों का परीक्षण न होना भी अभियोजन के लिए गंभीर त्रुटि नहीं माना जाएगा, विशेषकर जब उन साक्षियों ने अपराध होते हुए नहीं देखा हो। (देखें: महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, एआईआर 1990 एस सी 658; (1990 क्रि एल जे 889); उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू उर्फ यूनुस, एआईआर 2005 एस सी 1248; (2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 6563); और विजय उर्फ चीनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एस सी सी 191 (एआईआर 2011 एस सी(क्रि) 940 : 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 5510))

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः इस विषय पर उभरता हुआ विधि का सिद्धांत यह है कि यदि अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसे किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय केवल अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है।

15. वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि घटना के दिन उसका पति जीविकोपार्जन हेतु उदयपुर गया हुआ था। वह अपनी सहेली रतियानो (अ.सा.-2) के साथ लकड़ी (झाड़ियाँ) बीनने जंगल गई थी। लगभग दोपहर 3:00 बजे, जब वह लकड़ी बीन रही थी, उसी समय अपीलार्थी वहाँ आया, उसने उसे पकड़ लिया, घसीटकर एक गड्ढे में ले गया, जमीन पर पटक

दिया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया। अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त कृत्य करने के पश्चात वह वहाँ से भाग गया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह रतियानो (अ.सा.-2) के पास गई, परंतु उसने उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

16. रतियानो (अ.सा.-2) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि उसने देखा कि अपीलार्थी अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ यौन संबंध बना रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने उसे घटना के संबंध में कुछ नहीं बताया था। यह भी सत्य है कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के बीच प्रेम संबंध था। मंगल (अ.सा.-5) ने भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी पत्नी (अभियोक्त्री) ने रतियानो (अ.सा.-2) को घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब मामला सार्वजनिक हुआ, अर्थात् **"**हल्ला हो गया तब**"**, तब मंगला (अ.सा.-5) द्वारा पूछे जाने पर अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने उसे घटना की जानकारी दी। बाद में रतियानो (अ.सा.-2) ने भी उसे घटना के संबंध में बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोजन के अनुसार, जब अभियोक्त्री (अ.सा.-4) लकड़ी बीन रही थी, तब अपीलार्थी वहाँ आया, उसे घसीटकर एक गड्ढे में ले गया और उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया। डॉ. रोज़निन आर. एक्का (अ.सा.-6) ने अपने अभिकथन में कहा कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का चिकित्सीय परीक्षण

किया और अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-6) प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन (प्र.पी.-6) में अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के शरीर पर कोई आंतरिक अथवा बाह्य चोट नहीं पाई गई। यदि अपीलार्थी ने घटना की तिथि को 28 वर्षीया विवाहित स्त्री अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया होता, तो वह स्वयं को बचाने का प्रयास करती और ऐसी परिस्थिति में उसके शरीर पर कुछ न कुछ चोट के निशान पाए जाते, किंतु उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई।

18. रतियानो (अ.सा.-2) भी अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के निकट ही लकड़ी बीन रही थी। यदि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को पकड़ा होता और उसे घसीटा होता, तो वह शोर मचाती तथा सहायता के लिए रतियानो (अ.सा.-2) को पुकारती, परंतु उसने कोई शोर नहीं मचाया। अतः केवल अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का यह कथन कि अपीलार्थी द्वारा धमकी दिए जाने के कारण उसने शोर नहीं मचाया, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-2) के विलंब से दर्ज किए जाने, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साक्ष्य तथा उसके अप्राकृतिक आचरण से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) यौन संबंध स्थापित किए जाने में सहमति से सहभागी थी।

अतः अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

20. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मेरा मत है कि माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है। अतः आक्षेपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश विधिसम्मत और संधारणीय नहीं है।

21. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। उसे आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस.शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित अभिनिर्धारित किया जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....Vijay Kumar Sahu , Advocate